

विधायी प्रारूपण प्रालेख निर्वाचन संविधि

LEGISLATIVE DRAFTING and
INTERPRETATION of STATUTES

नोट- कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक खण्ड में से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Note: Attempt five questions in all. One question from each section is compulsory. All questions carry equal marks.

खण्ड-अ Section-A

1. एक अधिनियम के प्रारूपण को प्रारंभ करने के पूर्व प्रारूपकर्ता द्वारा क्या तैयारियाँ करनी चाहिए? वर्णन कीजिए।
What Preparations are to be made by a draftsman before he starts drafting an Act? Describe.
2. भारत में विधायी प्रारूपण के इतिहास के विषय में एक निबंध लिखिए।
Write an essay on the history of Legislative Drafting in India.

खण्ड-ब Section-B

3. संविधि या कानूनों के निर्वचन से आप क्या समझते हैं? विस्तार से समझाइए।
What do you understand by Interpretation of Statutes? Explain in detail.
4. प्रत्यायोजित विधान क्या है? उन कारणों को समझाइए जो कि इसके लिए जिम्मेदार हैं। <http://www.rdvonline.com>
What is Delegated Legislation? Explain the factors which are responsible for Delegated Legislation.
5. उपचारात्मक संविधि के निर्वचन सम्बन्धी नियम क्या हैं? उदाहरणों सहित समझाइए।
What are the rules of Interpretation of Remedial Statutes? Explain with examples.
6. संविधियों की व्याख्या में प्रकल्पनाओं का क्या महत्व है? मुख्य उपधारणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए।
What is the importance of Presumptions in Interpretation of Statutes? Explain the main presumptions.
7. निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-
(1) सजाति का नियम (2) जाँच आयोग प्रतिवेदन
(3) छद्म विधायन (4) उपचारी कानून
(5) प्रत्यायोजित शक्ति का और आगे प्रत्यायोजन न करने का सिद्धान्त
Write short notes on any four of the following:
(i) Ejesdem Generis (ii) Inquiry Commission Report
(iii) Colourable Legislation (iv) Remedial Statute
(v) Delegates non-protest delegate (vi) Enabling Statutes
8. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-
(1) कानून का भूतलक्षी प्रवर्तन (2) तत्व और सार का सिद्धान्त
(3) आच्छादन का सिद्धान्त (4) संशोधनकारी कानून
Write short notes on the following:
(i) Retrospective operation of statutes
(ii) Doctrine of Pith and Substance (iii) Doctrine of "Eclipse"
(iv) Amending statutes <http://www.rdvonline.com>

खण्ड-स Section-C

9. हरला विरुद्ध राजस्थान राज्य, ए.आई.आर. 1951 सु.को. 467 के तथ्य एवं प्रतिपादित विधि सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए।
Describe the facts and principles of the law laid down in Harla Vs. State of Rajasthan. A.I.R. 1951 S.C. 467.
10. इनकम टैक्स कमिश्नर विरुद्ध सोदरा देवी ए.आई.आर. 1957 सु.को. 882 के तथ्य एवं प्रतिपादित विधि सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए।
Describe the facts and principles of the law laid down in Income-Tax Commissioner Vs. Sodra Devi, A.I.R. 1957 S.C. 882.